न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

बईजलास कमल कुमार मीना आर.ए.एस

केस न0 76/2016

उनवान मुकदमा

रामावतार उम्र 50वर्ष पुत्र बालमुकन्द जाति माली निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान। — वादी—

बनाम

1. रामकरण पुत्र गणेशराम
2. नन्दकिशोर पुत्र रामकरण
3. सत्यनारायण पुत्र रामकरण
4. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति माली निवासीगण आवां तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण—

वाद बाबत बेदखली आराजी

अन्तर्गत धारा 183आर टी एक्ट

—:: निर्णय::— दिनांक

उपस्थितिः—

वादी कीओर से :— श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट

प्रतिवादीगण कीओर सेः— एक तरफा

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने इस न्यायालय मे एक वाद उपरोक्त शीर्षक का प्रस्तुत कर कथन किया, कि ग्राम माल किशोरपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा मे वर्तमान खसरान0 9 की0.02हेक्टर, खसरा न0 12 की 0.09हेक्टर,खसरा न013 की 0.63हेक्टर, इस प्रकार कुल किता 3 की कुल0.74 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि के साबिक खसरा न08 रकबा 4बीघा 11बिस्वा रहे है, उक्त कृषि भूमि के सटवा ग्राम जांगल्याहेडी के माल मे प्रतिवादी कम1 के खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि स्थित है। वादी अपने खाते मे दर्ज उक्त खसरा नम्बर की भूमियो मे अपने पिता के सहयोग से शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे रहा है। गत 2—3वर्षो से वादी ने अपने खाते की उक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रतिवादी कम1 से पांतीकाश्त की हुई है, इस वर्ष वादी ने अपने स्वयं के खाते मे दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि को स्वयं ने ही काश्त करने का निश्चय किया था, जिसके लिए प्रतिवादीकम1 ने सहमति भी दे दी थी, व कहा था, कि आप अपनी कृषि भूमि को काश्त कर सकते हो, लेकिन प्रतिवादी कम1 के पुंत्रों प्रतिवादी न02,3,4 ने वादी की कृषि भूमि पर से कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया, इस पर वादी ने पुनः

2...........

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादीक्रम1 से निवेदन किया, कि वह उक्त कृषि भूमि मे पांती काश्त नही रखना चाहता है, और स्वयं ही उसकी भूमि में काश्त करवाना चाहता है। इस पर प्रतिवादी न01 ने उसके पुत्रो को समझाया तो वे कब्जा छोडने पर सहमत हो गये, और कहा, कि वे बरसात की फसल लेने के बाद भूमि पर से कब्जा हटा लेंगे।वादी ने आगे कथन किया, कि उसने अपने पिता के माध्यम से दिनांक1.11.2016 को पुनः प्रतिवादीगण से कहा, कि मुझे मेरी जमीन संभला दो, मै स्वयं मेरी जमीन मे काश्त करूंगा। इस पर प्रतिवादीगण कम2ता4 ने साफ मना कर दिया, उक्त व्यक्ति अपने पिता प्रतिवादीक्रम1 की बात भी मानने को तैयार नही है। प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूपसे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है, जिसको बनाये रखने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है, वादी माननीय न्यायालय की सहायता के बगैर प्रतिवादीगण से अपनी भूमि वापस लेने मे असमर्थ है, इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्व कृषि भूमि से बेदखली हेतु वाद प्रस्तुत करे। और अपनी कृषि भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करे। उपरोक्त आशय का वाद प्राप्त होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बाद तामील इस न्यायालय मे उपस्थित नहीहोने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। तथा पत्रावली को कायमी तनकियात एवं साक्ष्य वादी मे नियत किया गया है। पत्रावली मे निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया वादी ग्राम माल क़िशोरपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा मे वर्तमान खसरा न0 9 की0.02हेक्टर, खसरा न012 की 0.09हेक्टर,खसरा न0 13 की 0.63 हेक्टर, इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.74हेक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने का अधिकारी है ?

—वादी—

2. अनुतोष

उपरोक्त तनकियात कायम की जाकर पत्रावली को साक्ष्य वादी मे नियत किया गया। साक्ष्य वादी मे वादी ने स्वयं के बयान पीडब्ल्यू1, गवाह पीडब्ल्यू 2 कृष्णावतार व गवाह पीडब्ल्यू 3 मोतीलाल के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये। व उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रदर्श करवाया गया। तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की।पत्रावली को वास्ते बहस हेतु नियत किया गया।

पत्रावली मे बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र मे किये गये कथनो को दौहराया, व साक्ष्य मे प्रस्तुत बयान शपथ पत्र को पढकर कथन किया, कि वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य खाते की नकल आदि प्रस्तुत की है, और बयान शपथ पत्रों से अपने केस को प्रमाणित किया है। इसके विपरीत

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय मे उपस्थित नही है, और न ही उनकी ओर से किसी भी प्रकार कीकोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति मे वादी का वाद डिक्री किया जावे।वकील वादी की बहस एक तरफा सुनी गई, व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त प्रकरण मे जो तनकी बनाई गई है, उसके सन्दर्भ मे विशेष रूपसे विचारणीय बिन्दू यह था, कि क्या विवादित कृषि भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है, और उस पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूपसे कब्जा किया हुआ है, जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सन्दर्भ मे वादी कीओर से जो भी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर पेश है। उससे यह भली प्रकार साबित है, कि विवादितकृषि भूमि वादी की एक मात्र खातेदारी की है, जिस पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूपसे कब्जा किया हुआ है।उक्त तथ्य का खण्डन करने के लिए न तो प्रतिवादीगण स्वयं इस न्यायालय मे उपस्थितहुए है, और न ही उनकी ओर से कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश है, उपरोक्त समस्त परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है, कि वादी अपने केस को पूर्णरूपसे साबित सफल रहा है।ऐसी स्थिति मे हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाना उचित समझते है। जो कि अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को ग्राम माल किशोरपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा मे वर्तमान खसरा न0 9 की0.02हेक्टर, खसरा न012 की 0.09हेक्टर,खसरा न0 13 की 0.63हेक्टर, इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.74हेक्टर कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को रिक्त आधिपत्य दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.18..........को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

हस्ताक्षर मय मोहर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बईजलास कमल कुमार मीना(R.A.S.)

२। मावतार उम्र 50 वर्ष पुत्र बालमुकन्द जाति माली निवासी आंवा तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. रामकरण पुत्र गणेशराम।
2. नन्दकिशोर पुत्र रामकरण।
3. सत्यनारायण पुत्र रामकरण।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण जाति माली निवासीगण आंवा तहसील कनवास जिला कोटा।

दावा बाबत बेदखली आराजी अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट

उपस्थितः–

वादी की ओर से :–श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :– एक तरफा।

मुकदमान 76/16 सन 2016 तारीख फेसला 31.01.2018 न्यायालय ब इजलास कमल कुमार मीना **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन मिनजानि बमुदई व प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा मिनजानि बमुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को ग्राम माल किशोरपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में वर्तमान खसरा नंबर 09 की 0.02 है0, खसरा नंबर 12 की 0.09 है0, खसरानंबर 13 की 0.63 है0, इसप्रकारकुलकिता 03 की कुलरकबा 0.74 हे0, कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को रिक्त आधिपत्य दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं, **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है**।नीज ...x ...मुबलिग .... x ...बाबत ... x ..खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व भारह ... x ...फीसदी सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक ...x ..को अदाकरें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **31.01.2018** को जारी की गई।

मोहर ....

कमल कुमार मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्आम्प अर्जी दावा "" स्आम्प वकालतनामा "" स्आम्प वजहसबूत "" महनतानावकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमि नर "" बबत इजराय हुकम नामा""	------NIL------		स्आम्पव कालतनामा "" स्आम्प अर्जी "" म्हनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमि नर "" बबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक ""	------NIL------	
मुतफर्रिक "" मीजान ""			मीजान ""		

नोट :–इस खर्चे के फार्मपरकुल खर्चा हर दोफरीकेनका, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं।दर्ज करना चाहिये।

कमल कुमार मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)